न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 762/2022

अनवान : –

1. विकास कुमार पुत्र स्व जगदीश जात जाट निवासी ढाणीचारणान तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सरिता चौधरी पुत्री स्व0 जगदीश जाति जाट निवासी ढाणीचारणान तहसील नोहर।
2. सन्तोष पत्नी पुत्र स्व0 जगदीश जाति जाट निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर–फौत
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 28/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 101/101 की कुल 17.6030 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जगदीश प्रसाद के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगदीश प्रसाद के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। जगदीश प्रसाद का स्वर्गवास हो चुका है। जगदीश प्रसाद के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए दिनांक 19.09.2022 को इकबालिया बयान पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्र 151 सीपीसी पेश किया की प्रतिवादी संख्या 2 सतोष का दिनांक 13.02.2023 को देहान्त हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए वाद भूमि का अकेले वादी को खातेदार काश्कार घोषित किया जावे। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण जगदीश, सन्तोष पेश किये जो की शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगदीश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। जगदीश का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी की माता सन्तोष का भी देहान्त हो चुका है इसलिए उक्त वाद भूमि के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकरी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी अकेला काबिज है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 101/101 की कुल 17.6030 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जगदीश प्रसाद के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगदीश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। जगदीश का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी की माता सन्तोष का भी देहान्त हो चुका है इसलिए उक्त वाद भूमि के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकरी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी अकेला काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी स0 1 द्वारा करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण के अनुसार जगदीश व सन्तोष का देहान्त हो चुका है तथा वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये राजस्व रिकार्ड के अलावा मृतक जगदीश के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वादी का अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:12 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 101/101 की कुल 17.6030 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जगदीश प्रसाद के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में जगदीश प्रसाद का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:12 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 762 / 2022
अनवान : –

1. विकास कुमार पुत्र स्व जगदीश जात जाट निवासी ढाणीचारणान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सरिता चौधरी पुत्री स्व0 जगदीश जाति जाट निवासी ढाणीचारणान तहसील नोहर।
2. सन्तोष पत्नी पुत्र स्व0 जगदीश जाति जाट निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर–फौत
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 762 सन 2022 निर्णय दिनांक 28/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जाशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 101 / 101 की कुल 17.6030 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि जगदीश प्रसाद के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में जगदीश प्रसाद का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:12 IST
Reason: SelfAttested